

न्यायालय जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 29/2022(GCMS : 2023/49)

1. मलकीत सिंह पुत्र केवल सिंह जाति कम्बोज निवासी 12 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर
— — — प्रार्थी

बनाम


1. उम्मेद सिंह रतनू उपखण्ड अधिकारी, राजस्व श्रीगंगानगर
 2. नरेन्द्रपाल सिंह
 3. प्रीतपाल सिंह
 4. राजेन्द्र सिंह
 5. सुरेन्द्र सिंह
 6. अवतार सिंह पुत्र केवल सिंह
 7. गुरदेव सिंह पुत्र रेशम सिंह
 8. गुलजार सिंह पुत्र केवल सिंह
 9. जैल सिंह पुत्र रला सिंह
 10. जोगेन्द्र सिंह पुत्र रला सिंह
 11. बिन्द्र सिंह पुत्र रला सिंह
 12. भूपेन्द्र सिंह पुत्र रेशम सिंह
 13. महेन्द्र सिंह पुत्र रला सिंह निवासीयान 12 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर
 14. मैनेजर एचडीएफसी बैंक शाखा श्रीगंगानगर
 15. मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा, श्रीगंगानगर
 16. मैनेजर एसबीआई, शाखा केसरीसिंहपुर
 17. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर
- — — अप्रार्थीगण



08.08.2023

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री कुलविन्द्र सिंह एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री राजेश ग्रेवाल उपस्थित नहीं है। मैंने, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 115/2020 अनवानी नरेन्द्र पाल सिंह वगै. बनाम अवतार सिंह वगै. अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल कराने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।




जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अंशदीप)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर